

दिनांक:—12.12.2019

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं, 3 बार आवाज लगायी गयी। बार-बार आवाज लगाने पर भी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित नहीं आने पर प्रार्थना-पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। दिनांक 12.08.2013 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ़तर हो।